

:: प्रमाण पत्र ::

मुख्य विकास अधिकारी महोदय के कार्यालय के आदेश पत्रांक 418/एस०टी०/जांच स्कूल/2023-24 दिनांक 22-12-2023 के द्वारा प्रबन्धक, दा आर्यन्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, जोया जनपद-अमरोहा के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या 196/अरसठ -3-2020-2021/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 29 जून, 2020 के क्रम में नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुसार उक्त विद्यालय में कक्षा-01 से कक्षा-08 तक की अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम की नवीन मान्यता हेतु विद्यालय भवन सुरक्षित होने के सम्बन्ध में संयुक्त जांच आख्या चाही गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय भवन निर्माण कुशल आर्किटेक्ट की देख-रेख में मानकों के अनुरूप किया गया है तथा विद्यालय भवन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। साथ ही विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य द्वारा आर्किटेक्ट/इंजीनियर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर 17 (ख) में उल्लेखित गाईडलाइन के अनुरूप जैसे विद्यालय भवन कक्ष दीवार पूर्णतः मजबूत है, तथा कक्ष-कक्षों में बच्चों के बैठने एवं धूप/ठण्ड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था है। कक्षा-कक्ष हवादार व रोशनीयुक्त है। यद्यपि विद्यालय भवन के निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 का पूर्णरूपेण पालन नहीं किया गया है, फिर भी बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 के उक्त शासनादेश के प्रस्तर 17 (ख) में उल्लेखित मुख्य बिन्दुओं का परिपालन विद्यालय भवन निर्माण में किया गया है। निर्माण कार्य संतोषजनक है।

वर्तमान में निर्मित भवन के इतर किसी भी अतिरिक्त निर्माण हेतु विद्यालय प्रबंधन स्वयं उत्तरदायी होगा।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
अमरोहा।